



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03122025-268207
CG-DL-E-03122025-268207

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5365]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 2, 2025/अग्रहायण 11, 1947

No. 5365]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 2, 2025/AGRAHAYANA 11, 1947

विद्युत मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 1 दिसम्बर, 2025

का.आ. 5553(अ).— जबकि मेसर्स एनटीपीसी नवीकरणीय ऊर्जा लिमिटेड, आवेदक ने जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस एनटीपीसी आरईएल, ई3, इकोटेक-11, उद्योग विहार, ग्रेटर नोएडा, (यूपी)-201306 पर स्थित है, ने गुजरात के खावड़ा में एनटीपीसी आरईएल को प्रस्तावित 1200 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना के लिए कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु ट्रांसमिशन योजना में शामिल ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत प्राधिकृत करने हेतु आवेदन किया है।

और जबकि, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने फाइल नं संख्या 25-17/19/2023-पीजी दिनांक 15.09.2023 के अंतर्गत गुजरात के खावड़ा में एनटीपीसी आरईएल को प्रस्तावित 1200 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना के लिए कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु ट्रांसमिशन योजना में शामिल ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 68(1) के अंतर्गत पूर्व अनुमोदन प्रदान किया था।

मेसर्स एनटीपीसी नवीकरणीय ऊर्जा लिमिटेड ने प्रस्तावित ट्रांसमिशन मार्ग के बारे में स्थानीय अखबारों, द टाइम्स ऑफ इंडिया (अंग्रेजी में) दिनांक 23.11.2024, गरवी गुजरात (हिंदी में) दिनांक 22.11.2024 और कच्छ उदय (गुजराती में) दिनांक 09.05.2024 और भारत के साप्ताहिक राजपत्र दिनांक 14.12.2024 में प्रकाशन की तारीख से दो महीनों के भीतर आम जनता से अवलोकन/ अभ्यावेदन की मांग करते हुए नोटिस प्रकाशित किया था। इसके पश्चात, मेसर्स एनटीपीसी नवीकरणीय ऊर्जा लिमिटेड, ने दिनांकित 13.10.2025 को एक हलफनामा प्रस्तुत किया, जिसमें घोषणा की गई थी कि भारत के शासकीय राजपत्र में सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन के दो महीनों के भीतर जनता से कोई अवलोकन/ अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ था।

और अब आवेदक ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत मेसर्स एनटीपीसी नवीकरणीय ऊर्जा लिमिटेड के लिए ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए उन्हें वे सभी शक्तियां प्रदान करने का अनुरोध किया है, जो टेलीग्राफ लाइन्स के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित टेलीग्राफ लाइन्स और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास है। इस स्कीम के अंतर्गत निम्नलिखित ओवरहेड लाइन्स शामिल हैं:

- एनटीपीसी आरईएल – केपीएस3 400 केवी एस/सी लाइन, डी/सी टावरों पर।

इस योजना के अंतर्गत ओवरहेड पारेषण लाइनें गुजरात राज्य के निम्नांकित गाँवों, कस्बों और शहरों से होकर, उन पर से, उनके आसपास से और बीच से होकर गुज़रेगी।

गाँव	तहसील	जिला	राज्य
खावड़ा में आरई पार्क	भुज	कच्छ	गुजरात

अब, सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत मेसर्स एनटीपीसी नवीकरणीय ऊर्जा लिमिटेड को उपरोक्त ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन को लगाने के लिए वे सभी शक्तियां निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों के साथ प्रदान करता है, जो टेलीग्राफ के उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा स्थापित टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास है

- यह अनुमोदन 25 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है।
- आवेदक को प्रस्तावित लाइनों की स्थापना से पूर्व संबंधित प्राधिकारियों अर्थात् स्थानीय निकायों, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग आदि की सहमति प्राप्त करनी होगी।
- आवेदक को विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत समुचित आयोग के द्वारा तैयार किए गए पारेषण, ओ एंड एम, ओपन एक्सेस आदि के विनियमों/संहिताओं का पालन करना होगा।
- आवेदक केंद्र सरकार के विद्युत निरीक्षक/ मुख्य विद्युत निरीक्षक के अनुमोदन के पश्चात ही लाइनों का प्रचालन करेगा।
- यह अनुमोदन आवेदक द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किए जाने के अधीन है।
- मेसर्स एनटीपीसी नवीकरणीय ऊर्जा लिमिटेड को विद्युत निरीक्षण के समय विमानन एवं रक्षा प्राधिकरणों इत्यादि, से अपेक्षित अनुमति को प्राप्त करने के बाद, इसे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को विद्युत निरीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा।

- vii. अगर उपरोक्त ओवरहेड लाइनों का मार्ग (या उपरोक्त ओवरहेड लाइन के मार्ग का कुछ हिस्सा) ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (जीआईबी) क्षेत्र में आता है, तो आवेदक को ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (जीआईबी) के मामले में याचिका सं. 2019 के नं. 838 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेशों तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस बारे में गठित टेक्निकल/एक्सपर्ट कमेटी के निर्देशों का पालन करना पड़ेगा.

[फा. सं. 25-16/64/2025-पीजी]

एम.वी.एन. वरा प्रसाद, अवर सचिव (पीजी)

MINISTRY OF POWER

ORDER

New Delhi, the 1st December, 2025

S.O. 5553(E).— Whereas M/s NTPC Renewable Energy Limited, the applicant with its registered office at NTPC REL, E3, Ecotech-I1, Udyog Vihar, Greater Noida, (UP)- 201306 has applied for authorization under Section 164 of the Electricity Act, 2003 for laying of overhead transmission line included in the transmission scheme for providing connectivity to NTPC REL for its proposed 1200 MW Solar Power Project at Khavda, Gujarat.

And whereas, Central Electricity Authority (CEA), Ministry of Power, Government of India vide its File No. 25-17/19/2023-PG dated 15.09.2023 had granted prior approval under section 68(1) of the Electricity Act, 2003 for laying of overhead transmission line included in the transmission scheme for providing connectivity to NTPC REL for its proposed 1200 MW Solar Power Project at Khavda, Gujarat.

M/s NTPC Renewable Energy Limited had published notice for transmission scheme in local newspapers The Times of India (in English) dated 23.11.2024, Garvi Gujarat (in Hindi) dated 22.11.2024 and Kutch Uday (in Gujarati) dated 09.05.2024 and in Weekly Gazette of India dated 14.12.2024 for the general public to make observations/representations on the proposed transmission route within two months from the date of publication. Subsequently, M/s NTPC Renewable Energy Limited has submitted an affidavit dated 13.10.2025 declaring that no observation/representation was received within two months from the date of Publication in the official Gazette of Government of India.

And now the applicant has requested to confer upon him, all the powers under section 164 of the Electricity Act, 2003, which the telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purpose of a telegraph established or maintained by Government or to be so established or maintained for laying of overhead transmission line for M/s NTPC Renewable Energy Limited. The following overhead transmission line is covered under this scheme:

- NTPC REL – KPS3 400 kV S/c line on D/c towers

The overhead transmission line covered under the above scheme will pass through, over, around and between the following villages, towns and cities of Gujarat:

Villages	Tehsil	District	State
RE Park at Khavda	Bhuj	Kutch	Gujarat

Now, after careful consideration, Ministry of Power, Government of India, under section 164 of the Electricity Act, 2003, confers all the powers to M/s NTPC Renewable Energy Limited for laying above overhead transmission line, which telegraph authority possesses under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained, by Government or to be established or maintained subject to following terms and conditions for installing the above mentioned line, namely:

- The approval is granted for 25 years.
- The Applicant shall have to seek the consent of the concerned authorities i.e., local bodies, Railways, National Highways, State Highways etc. before erection of proposed line.
- The Applicant shall have to follow regulations/ codes of the Appropriate Commission regarding transmission, O&M, open access, etc., framed under the Electricity Act, 2003.

- iv. The Applicant shall operate the line after approval of Electrical Inspector / Chief Electrical Inspector of Central Government.
- v. The approval is subject to compliance of the requirement of the provisions of the Electricity Act, 2003 and the rules made there under by the applicant.
- vi. M/s NTPC Renewable Energy Limited shall have to submit the requisite clearances to Central Electricity Authority after obtaining the same from concerned authorities like Civil Aviation, Defense etc., at the time of Electrical Inspection.
- vii. In case, the route of above overhead lines (or some portion of the route of above overhead line) falls in the Great Indian Bustard (GIB) area, the applicant has to comply with the orders of the Hon'ble Supreme Court in the petition No.838 of 2019 regarding Great Indian Bustard (GIB) case, and the directions of the technical/expert committee constituted by the Hon'ble Supreme Court in this regard.

[F. No. 25-16/64/2025-PG]

M.V.N. VARA PRASAD, Under Secy. (PG)